

संयुक्त सहमति पत्र का प्रारूप

अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 'प्रयास फाउंडेशन कोर्स' के संचालन एवं प्रबंधन करने के इच्छुक सरकारी संस्थानों के लिए प्रदत्त संयुक्त सहमति पत्र का प्रारूप

दिनांक -----माह -----वर्ष-----
--को हस्ताक्षरित, प्रयास फाउंडेशन कोर्स (समेकित व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम) के संचालन एवं प्रबंधन हेतु प्रयास व्यक्तित्व विकास सेवा प्राइवेट लिमिटेड एच -19 चतुर्थ चरण, राप्ती नगर गोरखपुर (उ.प्र) 273013 (इसके बाद मात्र 'प्रयास' कहा गया है)
तथा -----
---पता ----- (इसके बाद मात्र सरकारी संस्थान लिखा गया है), के लिए सहमति पत्र

इस सहमति पत्र की शर्तें निम्न हैं ।

अ: सरकारी संस्थान की जिम्मेदारियां एवं कर्तव्य

'सरकारी संस्थान' प्रयास फाउंडेशन कोर्स के संचालन एवं प्रबंधन करने से सम्बंधित निम्न शर्तों से सहमत है और इनके अनुसार अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभायेगा ।

1. सरकारी संस्थान 'प्रयास' के तकनीकी मार्गदर्शन में अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों या अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए अपने यहाँ बच्चों एवं वयस्कों के लिए 'प्रयास फाउंडेशन कोर्स' का संचालन एवं प्रबंधन करेगा।
2. सरकारी संस्थान एक बैच के लिए अपने तीन अधिकारियों का नामांकन प्रशिक्षण हेतु करेगा तथा इन्हें इस कोर्स के संचालन और प्रबंधन तथा मार्गदर्शन के लिए 'प्रयास' द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान वेबिनार के माध्यम से किया जाएगा।
3. सफलतापूर्वक यह प्रशिक्षण पूर्ण कर लेने के बाद उन्हें व्यक्तित्व विकास मार्गदर्शक के रूप में मान्यता दी जायेगी।
4. नामित अधिकारी इन्टरनेट कनेक्शन वाला एक स्मार्ट फ़ोन हमेशा अपने पास रखेगा ताकि उसे 'प्रयास' द्वारा सभी आवश्यक सूचनाये एवं प्रपत्र ईमेल या व्हात्सप या अन्य डिजिटल माध्यमों द्वारा त्वरित गति से प्रेषित की जा सकें। यह कोर्स भी इसी फ़ोन से चलाया जाएगा।
5. इस पाठ्यक्रम की सामान्य अवधि मात्र 6 माह होती है बशर्ते सप्ताह में छः दिन 90 मिनट का इसका एक सत्र प्रतिदिन चलाया जाय। यदि किसी कारणवश सप्ताह में इसको संचालित करने के दिन या सत्र की अवधि में परिवर्तन किया जाता है तो इसकी अवधि तदानुसार परिवर्तित हो जायेगी। लेकिन इसके लिए 'प्रयास' की पूर्व अनुमति लिखित रूप से प्राप्त करना अनिवार्य है।
6. किसी एक बैच के एक बार आरम्भ हो जाने के बाद उस बैच में किसी नए प्रतिभागी का प्रवेश नहीं लिया जाएगा। नए प्रतिभागी का प्रवेश अगले बैच या किसी अन्य समानांतर बैच में ही हो सकता है।
7. एक बैच में प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या 15 होगी।
8. किसी बैच में अधिकारी एवं कर्मचारी एक साथ नहीं मिलाये जायेंगे और उनके लिए अलग अलग बैच बनाये जायेंगे। बहुत वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिकारी भी एक साथ नहीं मिलाये जायेंगे।

9. इस कोर्स के लिए प्रति कार्यदिवस को प्रति बैच 90 मिनट के अतिरिक्त समय की व्यवस्था सरकारी संस्थान करेगा। किसी कारणवश कोर्स के बिलम्बित होने पर आवश्यकतानुसार इसे कुछ दिनों के लिए प्रतिदिन दो घंटा या उससे से भी अधिक समय चलाने की व्यवस्था करेगा।
10. यदि किसी कारणवश सम्बंधित अधिकारी कोर्स का संचालन नहीं कर सकता तो सरकारी संस्थान पूर्व प्रशिक्षित (दो अतिरिक्त अधिकारियों में से एक) अधिकारी इसके संचालन एवं प्रबंधन के लिए उपलब्ध कराएगा और इसकी समाप्ति सुनिश्चित करेगा।
11. विचारमंथन हेतु एक बार में 10 प्रश्नोत्तर ईमेल से इसे संचालित करने वाले अधिकारी के पास भेजे जायेंगे और वह आवश्यकतानुसार प्रिंट करके विचारमंथन हेतु उनका उपयोग करेगा या डिजिटल फॉर्म में ही इस्तेमाल करेगा और इनकी हार्ड कॉपी नहीं भेजी जायेगी। लेकिन यह उसकी जिम्मेदारी होगी कि पांच प्रश्न बचे रहते ही वह अतिरिक्त प्रश्नों की मांग करे।
12. मार्गदर्शक प्रतिदिन प्रत्येक प्रतिभागी को अपनी रूचि के विषय विन्दु पर एक पृष्ठ लिखकर ऐप पर पोस्ट करने को कहेगा और प्रतिदिन सभी प्रतिभागियों से इसकी पुष्टि करने के बाद ही विचारमंथन प्रक्रिया आरम्भ करेगा।
13. मार्गदर्शक कोर्स के संचालन से तरीकों, पाठ्यक्रम और उपयोगिता के सम्बन्ध में प्रतिभागियों से लिखित प्रतिपुष्टि प्राप्त करके 'प्रयास' को उपलब्ध कराएगा।
14. इस कोर्स का प्रति प्रतिभागी कुल शुल्क मात्र 5000 (पांच हजार) रूपये है जिसके 30% का अग्रिम भुगतान करना पड़ेगा।
15. 'प्रयास' के अधिकृत अधिकारी किसी भी बैच के किसी भी विचारमंथन सत्र में डिजिटल माध्यम से यह देखने के लिए स्वतंत्र है कि कोर्स को कैसे चलाया जा रहा है और इसमें सरकारी संस्थान या उसके किसी प्राधिकारी द्वारा कोई भी व्यवधान नहीं उत्पन्न किया जाएगा। वे अपना सुझाव सरकारी संस्थान तथा 'प्रयास' को दे सकते हैं।

ब: 'प्रयास' की जिम्मेदारियां एवं कर्तव्य

'प्रयास' स्वेच्छा से **प्रयास फाउंडेशन कोर्स** के संचालन एवं प्रबंधन से सम्बंधित निम्न शर्तों से सहमत है और इनके अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभायेगा। इस कोर्स का उपरोक्त शुल्क प्राप्त हो जाने के बाद निम्न जिम्मेदारियां निभाएगा।

1. सरकारी संस्थान का पंजीकरण करेगा और उसके किये एक विशिष्ट कूट संख्या आवंटित करेगा जिसका उपयोग वह सभी पत्रचार आदि में करेगा।
 2. सरकारी संस्थान द्वारा नामित अधिकारियों को विचारमंथन प्रक्रिया के संचालन, एवं प्रतिभागियों को दैनिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण वेबिनार के माध्यमसे प्रदान करेगा जो निशुल्क होगा।
 3. एक बार में 10 प्रश्नोत्तर विचारमंथन हेतु ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराएगा यह जिम्मेदारी शैक्षणिक संस्थान की होगी की 5 प्रश्नों पर विचारमंथन शेष रहते ही वह अतिरिक्त प्रश्नों की मांग 'प्रयास' से संबंधित क्षेत्र प्रबंधक से माध्यम से करे।
 4. प्रतिभागियों से प्राप्त प्रतिपुष्टियों के आधार पर पाठ्यक्रम का समय समय पर अद्यतीकरण करेगा।
 5. कोर्स के दौरान दो बार (आरंभ और अंत में) प्रत्येक प्रतिभागी का व्यक्तित्व परीक्षण करके उनकी व्यक्तित्व विकास रपट बनाएगा और उसे ईमेल करेगा।
 6. 'प्रयास' यह सुनिश्चित करेगा कि विचारमंथन हेतु प्रश्नों की कमी न पड़े।
-

7. इस चक्र से पूरा होते ही इस कोर्स किसी एक बैच के सम्बन्ध में 'प्रयास' की जिम्मेदारी समाप्त हो जायेगी।

उपरलिखित शर्तों में परस्पर विचार विमर्श से परिवर्तन किया जा सकता है

| | |
|--|--|
| सरकारी संस्थान द्वारा अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर ----- पिता का नाम (पता के सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न) ----- | कृते प्रयास व्यक्तित्व विकास सेवा (प्रा) लि, गौरखपुर |
| गवाह का नाम एवं हस्ताक्षर पूरा पता (सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न) | गवाह का नाम एवं हस्ताक्षर पता (सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न) |